II. कोलिहान खान की वार्षिक अयस्क उत्पादन क्षमता को 0.6 मिलियन टन से बढ़ाकर 0.75 मिलियन टन करना।

III. 0.6 मिलियन टन वार्षिक अयस्क क्षमता की बनवास खान का विकास।

4. खेतड़ी सान्द्रक का आधुनिकीकरण।

II. केन्द्रीय सेक्टर (मध्य प्रदेश)

1. मलंजखंड खान का 2 मिलियन टन वार्षिक से 3 मिलियन टन वार्षिक तक विस्तार।

III. पूर्वी सेक्टर (बिहार)

1. 0.75 मिलियन टन अयस्क और समान क्षमता के सान्द्रक [सहित चापरी-सिद्धेश्वर खान का विकास।

2. सिंहभम पट्टी में इंडियन कापर कम्पलेक्स की मौजूदा खानों का विस्तार और आधुनिकीकरण।

खनिजों पर रायल्टी में संशोधन

663. श्री महेन्द्र सिंह लाठर: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने विभिन्न खनिजों के लिय रायल्टी की दरों में संशोधन किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990 से खनिजों की बढ़ी हुई रायल्टी दरें क्या-क्या हैं और वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के दौरान सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस मद में कितनी-कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा मांग किये जाने के बावजूद राथल्टी दरों में नाम मात्र की वृद्धि की गई है; और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग) विभिन्न खनिजों पर रायल्टी की दरों में राज्य सरकारों के अनेक सुझावों पर पर्याप्त विचार करने के बाद, 17-2-92 से संशोधन किया गया है।

खनिजों पर प्राप्त होने वाली रायल्टी की कुल आय राज्य सरकारों की होती है। इसमें केन्द्र सरकार का न तो कोई हिस्सा होता है और न उसे इस मद पर राज्य सरकारों को कोई राशि ही देनी होती है।

Miues and Minerals Regulation and Development Act, 1957

664. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the present procedure followed for granting approval of mining leases at State/Central level for major/minor minerals under M.M.R.D. Act, 1957 and seeking clearance from Environment and Forests Ministry is causing considerable delay/loss of revenue to States. concerned;

(b) what is the number of mining; leases so far granted at the State/Central level for the last 3 years upto 15th February, 1992, in the country particulary in Rajasthan and Orissa ; and

(c) the number of cases still pending for renewal of mining leases/cases rejected and pending for want of Environment/ Forest clearance during the last 2 years in Rajasthan and Orissa?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the table of the House.

इस्पात का उत्पादन

655. कुमारी आलिथा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में इस्पात का कुल कितना उत्पादन होने की संभावना है तथा उक्त वर्ष के

दौरान कितने इस्पात का निर्यात किया जायेगा ; और

(ख) नई औद्योगिक नीति का इस्पात-उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इस समय वर्ष 1991-92 के दौरान भारत में परिसज्जित इस्पात का कुल उत्पादन 145.5 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष के दौरान एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा 3.5 लाख टन परिसज्जित इस्पात का निर्यात किये जाने का अनुमान है।

(ख) नई औद्योगिक नीति में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन अनिवार्य लाइसेंसिंग के उपबन्ध से लोहा और इस्पात उद्योग को छूट दे दी गयी है। इससे और अन्य उदार उपायों से इस्पात उद्योग में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

लौह और इस्पात उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

666. श्री महेन्द्र सिंह लाठर : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात तथा लौह उत्पादों के मूल्यों में 1 जनवरी, 1990 से अब तक अनेक बार वृद्धि की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान की गयी मूल्य वृद्धि का वर्षवार/माहवार ब्यौरा क्या है और उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार को कितना लाभ या हानि हुई ;

(ग) घाटे और मुनाफे में चल रहे लौह उद्योगों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों/उपक्रमों के नाम और उनके उत्पादन क्षेत्रों का विवरण क्या है; और

(घ) घाटे में चल रही औद्योगिक इकाइयों के सुधार और उनमें कार्यरत कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने के उद्देश्य से उनके आधुनिकीकरण के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1-1-1990 के बाद संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निम्नलिखित मूल्य वृद्धियों की घोषणा की गई थी :—

20-3-1990	उत्पाद शुल्क दरों में संशोधन के कारण लगभग 1.5% की औसतन वृद्धि।
19-9-1990	आदानों की लागत में वृद्धि को और इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि (ई जी ई ए एफ) की वृद्धि को पूरा करने के लिए आधारभूत मूल्य में औसतन 5% की वृद्धि।
25-9-1990	आकार/सेक्शन/क्वालिटी, "एक्सट्राज" आधार मूल्यों में सामान्य वृद्धि।
25-7-1991	उत्पाद शुल्क पर अधिभार में वृद्धि के कारण इस्पात पर 36 रु० प्रति टन और कच्चे लोहे पर 15 रु० प्रति टन की औसतन वृद्धि।
1-9-1991	रेल भाड़े में वृद्धि के कारण इस्पात पर 90 रु० प्रति टन तथा कच्चे लोहे पर 60 रु० प्रति टन की वृद्धि।

उत्पाद शुल्क में वृद्धि किए जाने के कारण मूल्य वृद्धि से उसी सीमा तक सरकार के उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि हुई।

माल भाड़े की दरों में वृद्धि से रेलवे के राजस्व में वृद्धि हुई।

(ग) निजी उद्योगों के लाभ/हानि का ब्यौरा इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता।